### न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

1- भंवरसिंह वल्द हरेसिंह गोंड, उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-जीतनसिंह वल्द भगेलसिंह गोंड, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-परभू वल्द सम्मत गोंड, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

TON THE BUILD 4-रतनसिंह वल्द सुनहेर सिंह गोंड, उम्र-45 वर्ष निवासी-ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-धरमसिंह वल्द अन्तराम बैगा, उम्र-35 वर्ष निवासी-ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

6-चैतराम वल्द बुद्धु गोंड, उम्र-52 वर्ष, निवासी-ग्राम कदला, थाना गढी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7—दशरथ वल्द भगेल सिंह, उम्र—60 वर्ष, निवासी—ग्राम हीरापुर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

#### <u>आरोपीगण</u>

# // <u>निर्णय</u> //

### (आज दिनांक-30 / 10 / 2015 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 17, 29, 39 सहपित धारा—51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—15.09.2002 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कान्हा टायगर रिजर्व मंडला के बीट कदला में आरक्षित वन में अवैध रूप से वन्य प्राणी के शिकार (आखेट) के आशय से महुआ के लाहन में जहर मिलाकर उसे बाड़ी में फैलाकर वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर मांस भक्षण हेतु आपस में बंटवारा किया।
- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-17.09.2002 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम हीरापुर और वनग्राम कदला के कुछ लोग जहर डालकर वन्यप्राणी चीतल का शिकार किए हैं और काटकर उसका मांस खांए हैं। उक्त सूचना पर परिक्षेत्र सहायक अडवार और परिक्षेत्र भैंसानघाट का स्टॉफ घटनास्थल पहुंचकर ग्राम हीरापुर के निवासी भंवरसिंह से जहर डालकर वन्य प्राणी चीतल को मारने के संबंध में पूछताछ किये तब उसने बताया कि दिनांक-15.09.2002 दिन रविवार को ग्राम कदला का निवासी चैतराम उसके पास आया और कहा कि उसके पास जहर है, जिससे जंगली जानवरों को मारेंगे। उसकी बात से सहमत होकर वह उसी शाम को चैतराम के साथ महुआ के लाहन में जहर मिलाकर लाया, जिसे उसकी बाड़ी के पास ही फैला दिए थे। दिनांक-16.09.2002 को वहां देखने पर चीतल मरा पडा था, जिसे अपने दामाद जीतन और गांव के परमू, रतन, धरम, दशरथ और ग्राम कदला निवासी चैतराम सभी लोग मिलकर उसे उठाकर घर ले आए और चीतल को काटकर मांस का बंटवारा किया और चमड़ा अपने घर में रखा था। आरोपी भंवरसिंह ने अपने घर से मांस, चमड़ा, कुल्हाड़ी निकालकर दिया, तब उससे पूछा गया कि मांस और चमड़ा वन्य प्राणी चीतल का है, तो उसने बताया कि उक्त मांस, चमडा चीतल का है। उक्त चमडा को बीट प्रभारी कदला ने पंचों के समक्ष जप्त किया और जप्ती की लिखापढी कर पी. ओ.आर. कमांक—26 / 04, दिनांक—17.09.2002 जारी कर प्रकरण विवेचना में लिया

गया। आरोपी भंवरसिंह के बताए अनुसार आरोपी जीतनसिंह, परमू, रतनसिंह, धरमसिंह से पूछताछ किया तब सभी आरोपीगण ने घटना का समर्थन किया और वन्य प्राणी चीतल को एकराय होकर जहर डालकर मारने का जुर्म करना कबूल किया। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.कमांक—26/04, धारा—9, 29, 17, 39 सहपिंठत धारा—51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के तहत् पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 17, 29, 39 सहपित धारा—51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

#### 4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—15.09.2002 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट कान्हा टायगर रिजर्व मंडला के बीट कदला में आरक्षित वन में अवैध रूप से वन्य प्राणी के शिकार (आखेट) के आशय से महुआ के लाहन में जहर मिलाकर उसे बाड़ी में फैलाकर वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर मांस भक्षण हेतु आपस में बंटवारा किया ?

## विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— परिक्षेत्र अधिकारी रमेश कुमार हरदाहा (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह वर्ष 2002 में परिक्षेत्र अधिकारी कान्हा टायगर रिजर्व मंडला के अंतर्गत भैंसानघाट में पदस्थ था। पी.ओ.आर. कमांक—26/04, दिनांक—17.09.2002 में उसके द्वारा विवेचना पश्चात् आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। राज्य शासन ने उसे परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उसके द्वारा प्रकरण में जप्त संपत्ति वन्य प्राणी चीतल का मांस व चमड़ा, पशु चिकित्सा अधिकारी कान्हा टायगर रिजर्व मंडला को परीक्षण हेतु भेजा गया था। उक्त के संबंध का ज्ञापन प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामलें में आरोपीगण के विरूद्ध परिवाद पत्र पेश किये जाने की पुष्टि कर समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

- 6— धीरज (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक—17. 09.2002 को वह परिक्षेत्र सहायक अड़वार व भैसानघाट के स्टॉफ के साथ ग्राम कदला हीरापुर गया था, जहां आरोपी भंवरिसंह के घर गए थे। आरोपी भंवरिसंह से पूछताछ करने पर उसने जहर डालकर चीतल को मारना बताया था। आरोपी भंवरिसंह ने चैतराम के यहां से जहर लाना और महुआ लाहन में जहर मिलाकर जानवर मारने के उद्देश्य से खेत में फैलाना बतलाया था, जिससे चीतल मर गया था। दिनांक—16.09. 2002 को चीतल मरा था। आरोपी भंवर ने यह भी बताया था कि आरोपी जीतन, धरम, प्रभु, रतन, दशरथ, चैतराम सभी मिलकर चीतल को उठाकर घर लाए थे और काटपीट कर मांस का बंटवारा किया था और सभी ने मांस खाया था। आरोपी भंवरिसंह से उसके समक्ष थोड़ा सा मांस, एक चमड़ा, दो कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी जीतन, प्रभु, रतन, धरम, के बयान उसके समक्ष लिये गए थे, जो कमशः प्रदर्श पी—4, 5, 6, 7 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने अपना जुर्म अस्वीकार किया था। कार्यवाही किये जाने का पंचनामा प्रदर्श पी—8 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि आरोपी दशरथ, प्रभु, रतन, चैतराम और धरमिसंह से कोई चीतल का मांस व चमड़ा जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी भंवर से जप्ती कार्यवाही के पूर्व तलाशी का पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि उसके द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में आरोपी भंवर से जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—2 के अनुसार चीतल का मांस, एक चमड़ा व दो कुल्हाड़ी जप्त नहीं किये गए थे। साक्षी के इस कथन का भी खण्डन नहीं हुआ है कि उसने आरोपी भंवर का बयान प्रदर्श पी—3 के अनुसार लेख नहीं किया था।
- 8— धन्नूलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब तीन साल पूर्व ग्राम कदला हीरापुर की है। वह उस समय वन विभाग के रेंज ऑफिस में काम करता था। उसे समय का ध्यान नहीं है, दोपहर की बात है। रेंज साहब आर.के. हरदाहा ने कदला चलने की बात कही था, तो

जाकर देखने पर आरोपी भंवरसिंह के पास से 100 ग्राम मटन, चीतल का चमड़ा, एक कुल्हाड़ी आदि चीजें मिली थी। मौके पर साहब लोगों ने लिखा—पढ़ी किया था। मौकापंचनामा प्रदर्श पी—8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी भंवरसिंह को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन विभाग वालों ने कोई बयान नहीं लिया था, किन्तु बयान प्रदर्श पी—10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनविभाग वालों ने उसके सामने आरोपी भंवरसिंह से पूछताछ किया था, तो आरोपी भंवरसिंह ने स्वीकार किया था कि उसने अपने खेत में चीतल को मारा था। आरोपी ने बताया था कि 5—6 लोगों ने मिलकर चीतल मारकर मांस खाया था, जिनके नाम उसे नहीं मालूम। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

बंशीलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-17.09.02 को वन विभाग भैंसानघाट में चौकीदार का काम करता था। दिन के करीब 2:00 बजे वन अधिकारी के साथ वनरक्षक हरेसिंह, धीरज, धन्नूलाल के साथ ग्राम कदला में गश्ती कर रहा था। आरोपी के वन ग्राम कदला में गए थे। आरोपी भंवरसिंह की सूचना मुखबिर से मिलने के कारण वन अधिकारियों ने भंवरसिंह के घर में जाकर तलाशी लिया था। उक्त तलाशी वन अधिकारी द्वारा ली गई थी। आरोपी भंवरसिंह के घर से करीब 100 ग्राम चीतल का मॉस और चीतल का एक कटा-फटा चमड़ा और कुल्हाड़ी मिली थी। उसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान नहीं मिला था। मौके पर ही जप्ती की कार्यवाही की गई थी। आरोपी भंवरसिंह से मॉस, चमड़ा व कुल्हाड़ी जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। वन अधिकारी ने पूछताछ किया था तो आरोपी भंवरसिंह ने बताया था कि उसने जहर डालकर चीतल को मारना बताया था। आरोपी भंवरसिंह ने उन लोगों का नाम भी बताया था कि जिनके साथ मॉस काटकर खाया गया था, किन्तु घटना पुरानी होने से उसे उनके नाम याद नहीं है। चीतल का सींग कहाँ गया था, उसकी जानकारी नहीं है। वन अधिकारी द्वारा मौकापंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वन अधिकारी को बयान देते समय आरोपी भंवरसिंह के साथ अन्य लोगों के नाम बता दिया था। वन अधिकारी द्वारा आरोपी भंवरसिंह और जीतन का बयान उसके सामने लिया था, जो प्रदर्श पी-3 व 4 है। शेष आरोपीगण के बयान उसके समक्ष नहीं लिये गए थे। प्रदर्श पी-5, 6, 7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके सामने आरोपी भंवरिसंह, जीतन, प्रभु, रतन व धरिसंह को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार पंचनामा प्रदर्श पी–9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बयान प्रदर्श पी–11 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 10— नेहरूसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—17.09.2002 को कतला बीट भैंसानघाट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। वे सामूहिक गश्ती में गए थे। सामूहिक गश्ती के दौरान आरोपी भंवरसिंह के पास 100 ग्राम चीतल का मांस, एक सींग, दो कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के मकान से चीतल का चमड़ा भी जप्त किया था। मौके पर नैनसिंह, हरिसिंह मरावी थे। उसने पी.ओ.आर. प्रदर्श पी—12 जारी किया था तथा पंचनामा डिप्टी साहब द्वारा तैयार किया गया था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में पी. ओ.आर. जारी करने और उसके सामने आरोपी भंवरसिंह से जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—2 के अनुसार संपत्ति जप्त होने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 11— हरेसिंह मरावी (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को पहचानता है। आरोपी भंवरसिंह से उसके सामने 100 ग्राम चीतल का मांस, चीतल का चमड़ा, दो कुल्हाड़ी जप्त हुई थी। उसके सामने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी—8 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नेहरूसिंह वनरक्षक ने की थी। उसका कोई बयान नहीं हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि उसने अपना बयान प्रदर्श पी—11 दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि जप्ती किस आरोपी से हुई थी। यद्यपि साक्षी ने आगे इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी भंवरसिंह से कोई जप्ती नहीं की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने जप्तीपंचनामा के अनुसार जप्ती कार्यवाही करने और मौके का पंचनामा प्रदर्श पी—8 के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 12— डॉक्टर संदीप अग्रवाल (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—22.10.2002 को कार्यलय क्षेत्र संचालन कान्हा टाईगर रिजर्व में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। दिनांक—23.09.2002 को त्वचा एवं बाल परीक्षण हेतु भेजा गया था, जिसका परीक्षण उसके द्वारा किया गया और उसने पाया कि उस त्वचा के साथ जो बाल लगे हुए थे वह वन्य प्राणी चीतल के थे। उक्त बालों को पहले से

तैयार किये गए स्टेण्डर्ड हेयर सैंपल की स्लाईड से मैच किया गया एवं दोनों सैंपलस में समानता पाई गई, जिसके आधार पर परीक्षण में बाल चीतल के पाए गए। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने प्रकरण में जप्तशुदा वन्य प्राणी चीतल के चमड़े की विशेषज्ञ के रूप में पहचान करने की पुष्टि की है।

13— नैनसिंह धुमकेती (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—17.02.2002 को भैंसानघाट रेंज में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी भंवरसिंह को जानता है। वह घटना के समय आरोपी के घर ग्राम हीरापुर गया था, जहां पर उसके घर से 100 ग्राम मांस, एक नग चमड़ा, सींग, दो नग कुल्हाड़ी मिले थे। आरोपी ने मांस, सींग एवं चमड़ा वन्य प्राणी चीतल का होना बताया था। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी—8 उसके समक्ष बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मौके पर आरोपी भंवरसिंह से कोई सामग्री जप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने मौके पर उक्त जप्ती कार्यवाही किये जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि इस साक्षी को अभियोजन की ओर से जप्तीपंचनामा के पंच साक्षी के रूप में पेश नहीं किया है। ऐसी दशा में साक्षी के उक्त कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

14— प्रकरण में जप्ती अधिकारी धीरज (अ.सा.2) ने घटना के समय आरोपी भंवर के आधिपत्य से वन्य प्राणी चीतल का मांस, एक चमझ व दो कुल्हाड़ी, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—2 के अनुसार जप्त करना बताया है। इसके अलावा आरोपी भंवरसिंह का बयान प्रदर्श पी—3 भी लेख किया जाना बताया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि आरोपी भंवरसिंह ने अन्य आरोपी जीतन और चैतराम से मिलकर खेत के पास महुआ के लाहन में जहर मिलाकर डालना और चीतल को मारकर अन्य सभी आरोपी को उसका मांस का बंटवारा कर अपने पास चीतल का चमड़ा बेचने के लिए आधिपत्य में रखा होना स्वीकार किया है। जप्ती अधिकारी की उक्त महत्वपूर्ण कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षीगण ने एकमत में समर्थन अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार आरोपी भंवरसिंह से मामलें में वन्य प्राणी चीतल का मांस, एक चमड़ा व दो कुल्हाड़ी जप्त करने और उसके स्वीकारोक्ति वाले बयान प्रदर्श पी—3 को अभियोजन की ओर से संदेह से परे प्रमाणित किया गया है।

15— मामले में आरोपी भंवरसिंह के बयान प्रदर्श पी—3 के अनुसार आरोपी भंवरसिंह के द्वारा आरोपित अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छया से की जाना प्रकट होती है। मामलें की परिस्थिति से यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि उक्त संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही, पंचनामा एवं अन्य साक्षीगण के बयान एवं परिवाद के अनुरूप न्यायालयीन कथन से अभियोजन मामलें में संदेह किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

16— प्रकरण में आरोपी भंवरसिंह के अलावा अन्य आरोपीगण जीतनसिंह, परमू, रतनसिंह, धरमसिंह, चैतराम, दशरथ से कथित अपराध में आरोपी भंवरसिंह के बताए जाने पर शामिल होना प्रकट किया गया है। उक्त आरोपीगण को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कथित शिकार किये जाने, मांस का बंटवारा करते हुए नहीं देखा गया है और न ही अन्य आरोपीगण से वन्य प्राणी चीतल के मांस या चमड़ा की जप्ती की कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। आरोपी भंवरसिंह के अलावा अन्य आरोपीगण जीतनसिंह, परमू, रतनसिंह, धरमसिंह, चैतराम, दशरथ के मात्र स्वीकारोक्ति वाले बयान के आधार पर उन्हें अभियोजित किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि उक्त स्वीकारोक्ति को संस्वीकृति के रूप में ग्राह्य किये जाने पर भी मात्र उक्त संस्वीकृति मात्र से अन्य आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

17— आरोपीगण की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में जप्तशुदा मांस व चमड़ा का विधिवत् परीक्षण नहीं कराया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जप्ती एवं विवेचना की कार्यवाही स्वयं वन अधिकारी के द्वारा अन्य वन अधिकारी के समक्ष निष्पादित की गई है तथा सभी ने अपनी साक्ष्य में एकमत में वन्य प्राणी चीतल के चमड़े की बरामदगी आरोपी भंवरसिंह से किया जाना प्रकट किया है। उक्त परिस्थिति में वन्य प्राणी चीतल के चमड़े के परीक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भोलाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2014(5) एम.पी.एच.टी. 279 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वन अधिकारी की मौखिक साक्ष्य कि जप्त सामग्री वन्य सामग्री है, पर्याप्त होती है। यद्यपि अभियोजन की ओर से जप्तशुदा चीतल के चमड़े का परीक्षण करने वाले विशेषज्ञ साक्षी डॉक्टर संदीप अग्रवाल (अ.सा.७) ने अपनी साक्ष्य में उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—13 के अनुसार परीक्षण किये गए चमड़े को वन्य प्राणी चीतल के चमड़ा होने की पुष्टि की

है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

18— वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—57 के अंतर्गत जहां इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने कब्जे में रखा है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने अवैधानिक कब्जे में रखा है। इस मामले में आरोपी भंवरसिंह से चीतल का चमड़ा व मांस जप्त होना प्रमाणित है। इस कारण यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी भंवरसिंह के पास वन्य प्राणी चीतल का मांस व चमड़ा अवैध रूप से आधिपत्य में एवं अभिरक्षा में पाया गया है।

19— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी भंवरिसंह के पास वन्य प्राणी चीतल का मांस व चमड़ा अवैध आधिपत्य में होने से तथा उनकी संस्वीकृति से यह उपधारणा की जा सकती है कि स्वयं आरोपी भंवरिसंह ने ही उक्त वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया है। आरोपी भंवरिसंह के द्वारा अधिनियम की धारा—9, 39 के अंतर्गत अवैध रूप से वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर स्वार्थवश उसके चमड़े व मांस, जो शासकीय संपत्ति है, को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के रखकर व मांस का भक्षण करने का अपराध किया गया है।

20— वन्य प्राणी चीतल को अधिनियम 1972 की अनुसूची—3 में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपीगण के द्वारा अधिनियम की धारा—51 के परंतुक के अंतर्गत अनुसूची—1 या 2 के भाग—2 में विनिर्दिष्ट किसी पशु के मांस के संबंध में अपराध कारित किया जाना प्रकट नहीं होने से या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार या सीमा परिवर्तन से संबंधित अपराध न होने से मामलें में उक्त परंतुक आकर्षित नहीं होता है।

21— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी भंवरसिंह के अलावा अन्य आरोपी जीतनसिंह, परमू, रतन, धरम, दशरथ, चैतराम के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं हुई है। अन्य आरोपी जीतनसिंह, परमू, रतन, धरम, दशरथ, चैतराम से कोई जप्ती की कार्यवाही भी नहीं हुई। ऐसी दशा में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में आरोपी जीतनसिंह, परमू, रतन, धरम, दशरथ, चैतराम के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है। अतएव आरोपी जीतनसिंह, परमू, रतन, धरम, दशरथ, चैतराम को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—9, 17, 29,

39 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 22— अभियोजन ने आरोपी भंबरसिंह के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी भंवरसिंह ने वन्य प्राणी चीतल जो अनुसूची—3 का वन्य प्राणी है, का शिकार कर उसके मांस को भक्षण किया और उसके चमड़े को अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार आरोपी भंवरसिंह ने वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—9 एवं 39 का उल्लंघन किया। अतः आरोपी भंवरसिंह को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—9, 39 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 23— आरोपी भंवरसिंह को मामले की परिस्थित को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

#### पश्चात् -

- 24— आरोपी भंवरसिंह व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उक्त आरोपी भंवरसिंह की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2002 से विचारण का सामना कर रहें हैं, तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।
- 25— प्रकरण में आरोपी भंवरसिंह मामले में वर्ष 2002 से विचारण कर रहा है तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी भंवरसिंह ने अधिनियम की अनुसूची—3 के अंतर्गत वन्य प्राणी चीतल के मांस व चमड़ा अवैध आधिपत्य में रखने का उल्लंघन किया है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए आरोपी भंवरसिंह को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—9, 39 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2,000/—(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी भंवरसिंह के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 26-

मामले में आरोपी दशरथ अभिरक्षा में नहीं रहा है तथा आरोपी जीतन, परमू, 27-रतन दिनांक-19.09.2002 से 20.09.2002 तक, आरोपी धरम दिनांक-19.09.2002 से दिनांक-20.09.2002 तक, दिनांक-10.11.2014 से दिनांक-13.11.2014 तक, दिनांक-13.05. 2015 से 15.05.2015 तक, आरोपी चैतराम दिनांक-09.04.2004 से दिनांक-12.04.2004 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहें है, जिनके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे 🌈

आरोपी भंवरसिंह दिनांक-19.09.2002 से 20.09.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा 28-में निरूद्ध रहा है। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं। 29-

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, ALIMAN PAROLA SUNTA PAROLA SUNT जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट